

## उपभोक्ता शिक्षा

### अतिदेय, एसएमए/एनपीए वर्गीकरण, डे-एंड प्रक्रिया और ऋण लेखों का उन्नयन

इसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्र " अग्रिमों से संबंधित आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड" का संदर्भ है।

#### 1) अतिदेय

किसी भी क्रेडिट सुविधा के तहत निगम को देय कोई भी राशि 'अतिदेय' है यदि इसका भुगतान निगम द्वारा निर्धारित नियत तारीख पर नहीं किया जाता है।

#### 2) विशेष उल्लेख लेखा (एसएमए) और गैर-निष्पादित परिपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकरण

'दबावग्रस्त परिपत्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे' के लिए ऋणदाताओं को ऋणकर्ता खातों में प्रारंभिक तनाव को तुरंत पहचानने की आवश्यकता होती है, उन्हें विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत करके।

#### एसएमए-वर्गीकरण का मानदंड

एसएमए उप-श्रेणियाँ	वर्गीकरण का आधार - मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि पूर्ण या आंशिक रूप से अतिदेय
एसएमए -0	30 दिन तक
एसएमए -1	30 दिन से अधिक और 60 दिन तक
एसएमए -2	60 दिन से अधिक और 90 दिन तक

#### गैर-निष्पादित परिपत्ति (एनपीए)

किसी भी ऋणकर्ता के खाते के संबंध में जो 90 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय हो जाता है, उसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

#### 3) डे-एंड प्रक्रिया के भाग के रूप में ऋणकर्ता खातों का एसएमए/एनपीए के रूप में वर्गीकरण

नियत तारीख के लिए दिन के अंत की प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में निगम द्वारा ऋणकर्ता खातों को अतिदेय के रूप में चिह्नित किया जाएगा। इसी प्रकार, ऋणकर्ता खातों का एसएमए के साथ-साथ एनपीए के रूप में वर्गीकरण प्रासंगिक तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में किया जाएगा और एसएमए या एनपीए वर्गीकरण की तारीख कैलेंडर तिथि होगी जिसके लिए दिन के अंत की प्रक्रिया चलती है। दूसरे शब्दों में, एसएमए/एनपीए की तारीख उस कैलेंडर तिथि के दिन के अंत में किसी खाते की परिपत्ति वर्गीकरण स्थिति को दर्शाएगी।

**उदाहरण:** यदि किसी ऋण खाते की देय तिथि 31 मार्च, 2021 है, और ऋण देने वाली संस्था द्वारा इस तिथि के लिए अंतिम प्रक्रिया शुरू करने से पहले पूरा बकाया प्राप्त नहीं होता है, तो अतिदेय की तिथि 31 मार्च, 2021 होगी। अतिदेय रहता है, तो इस खाते को 30 अप्रैल, 2021 को डे-एंड प्रक्रिया चलाने पर यानी लगातार अतिदेय होने के 30 दिन पूरे होने पर एसएमए-1 के रूप में टैग किया जाएगा। तदनुसार, उस खाते के लिए एसएमए-1 वर्गीकरण की तारीख 30 अप्रैल, 2021 होगी।

इसी प्रकार, यदि खाता अतिदेय बना रहता है, तो इसे 30 मई, 2021 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर एसएमए -2 के रूप में टैग किया जाएगा और यदि आगे भी अतिदेय बना रहता है, तो इसे 29 जून 2021 डे-एंड की प्रक्रिया चलाने पर एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

#### 4) उन्नयन

एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को 'मानक' परिपत्ति के रूप में अपग्रेड किया जा सकता है, यदि ऋणकर्ता द्वारा ब्याज और मूलधन का पूरा बकाया भुगतान किया जाता है।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऊर्जानिधि, 1,

बाराखंभा लेन,

कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

नोट: पीएफसी IndAS के अनुसार अपने लेखों का रखरखाव करता है और ऋणकर्ताओं का वर्गीकरण उसी के अनुसार किया जाता है।

किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।